उत्तर प्रदेश वृद्धावस्था पेंशन योजना सम्बन्धी नियम

1—सभी निराश्रित व्यक्ति, जो 65 वर्ष या इससे अधिक आयु के हैं तथा जो उत्तर प्रदेश के निवासी हैं और प्रार्थना-पत्र की तिथि से एक वर्ष से अधिक समय से उत्तर प्रदेश में रह रहे हैं, वृद्धावस्था पेंशन प्राप्त करने के अधिकारी होंगे :

प्रतिबन्ध यह है कि कोई विस्थापित व्यक्ति जो किसी दूसरे राज्य से आव्रजित हुआ है और उत्तर प्रदेश में 3 माह से अधिक समय से बस गया है, वृद्धावस्था पेंशन का पात्र होगा। आगे प्रतिबन्ध यह है कि विधवा अथवा ऐसा व्यक्ति जो अपंग या किसी शारीरिक अयोग्यता के कारण जीविकोपार्जन में पूर्णतः असमर्थ है, के मामले में न्यूनतम आयु 60 वर्ष होगी।

2—"निराश्रित" वह व्यक्ति है जिसकी आय का कोई साधन नहीं है तथा जिसका 20 वर्ष या इससे अधिक आयु का निम्न श्रेणियों में कोई सम्बन्धी नहीं है :

(1) पुत्र, पुत्र का पुत्र (पौत्र)

(2) पति, पत्नी

प्रतिबन्ध है कि:—

(1) वह व्यक्ति भी निराश्रित समझा जायगा यदि उसके उपर्युक्त श्रेणी के सभी सम्बन्धी—

(क) 65 वर्ष से अधिक आयु के हैं और उनकी अपनी कोई आय नहीं है, या

(ख) वे स्वयं आर्थिक विपन्नता में हैं कि सहायता करने में असमर्थ हैं, अथवा

(ग) वे जीविकोपार्जन के लिये पूर्णतः अयोग्य हैं यानी अन्धा, कोढ़ी, पागल या अशक्त हो,

(घ) वे सात वर्ष या अधिक समय से लगातार लापता हैं या साधु अथवा फकीर हो गये हैं और इस प्रकार उन्होंने अपने परिवार से सम्बन्ध विच्छेद कर लिया है और अलग रहते हैं तथा जिलाधिकारी ऐसी जांच के द्वारा जिसे वे आवश्यक समझें, इस बात से व्यक्तिगत रूप से संतुष्ट हैं कि सम्बन्धी लापता हैं अथवा साधु या फकीर हो गये हैं।

टिप्पणी—(1) उपर्युक्त (ख) के मामले में जिलाधिकारी को किसी राजपत्रित अधिकारी द्वारा जांच करा के संतुष्ट होना चाहिये कि सम्बन्धियों की आर्थिक स्थिति विपन्न है।

(2) भिखारी तथा साधु और निर्धन गृहों में निःशुल्क पोषण पाने वाले व्यक्ति निराश्रित नहीं समझे जावेंगे। परन्तु वे व्यक्ति जिनका पेशा वास्तव में भीख मांगना नहीं है और यदा-कदा किसी से सहायता पा जाते हैं, पेंशन पाने योग्य होंगे यदि वे अन्य प्रकार से पात्र हों और जिलाधिकारी उनको निराश्रित समझे।

स्पष्टीकरण—(i) पत्नी के जीवित होने से किसी व्यक्ति को पेंशन पाने के लिये तब तक अयोग्य नहीं समझा जावेगा, जब तक जिलाधिकारी किसी राजपत्रित अधिकारी से जांच कराकर सन्तुष्ट न हो जायं कि पत्नी की आय अपना और अपने पति की निर्वाह के लिये पर्याप्त है।

(ii) जहां पति और पत्नी, दोनों ही 65 वर्ष से अधिक आयु के हैं दोनों ही पेंशन के पात्र होंगे, यदि उनका कोई पुत्र या पुत्र का पुत्र जीवित नहीं है।

(iii) यदि प्रार्थी पागल है या विक्षिप्त है उसके लिये जिलाधिकारी अभिभावक नियुक्त करेंगे और जिलाधिकारी द्वारा नामांकित ऐसे अभिभावक को पेंशन दी जा सकती है यदि अभिभावक इस आशय का अनुबन्ध करे कि वह पागल व्यक्ति का पोषण करेगा।

(iv) सौतेले पुत्र को "पुत्र" नहीं समझा जायेगा।

(v) 60 रु० प्रतिमाह तक आय वाले प्रार्थी वृद्धावस्था पेंशन के अयोग्य नहीं समझे जायेंगे यदि वे अन्यथा इसके पात्र हैं।

(3) (i) वृद्धावस्था पेंशन के लिये प्रार्थना-पत्र (प्रपत्र ओ० ए० पी० एक) में, दो प्रतियों में, सम्बन्धित तहसीलदार को देना होगा। तहसीलदार आवश्यक जांच के उपरान्त प्रार्थना-पत्र प्राप्ति की तिथि से दो माह के अन्दर प्रार्थना-पत्र की एक प्रति अपनी संस्तुति के साथ जिलाधिकारी को अग्रसारित करेंगे।

(ii) यदि छपे हुए प्रार्थना-पत्र उपलब्ध न हों तो मोटे सादे कागज पर हस्तलिखित प्रार्थना-पत्र दिये जा सकते हैं।

(4) प्रार्थना-पत्र के फार्म ग्राम पंचायतों, तहसीलों अथवा टाउन एरिया तथा नोटीफाइड एरिया के कार्यालयों से प्राप्त किये जा सकते हैं।

(5) वृद्धावस्था पेंशन के लिये प्रार्थना-पत्र देने वाले समस्त व्यक्तियों की सूची, तहसीलदार (प्रपत्र ओ० ए० पी० 2) में रखेंगे।

6—वृद्धावस्था पेंशन के लिये प्रार्थना-पत्र प्राप्त होने पर तहसीलदार उनका परीक्षण करेंगे और आयु-निवास की अवधि, निवास स्थान आर्थिक स्थिति (अर्थात् किसी आय का न होना या जीविका का साधन न होना) तथा प्रार्थना-पत्र के अन्य तथ्यों की जांच,

"नागरिक राष्ट्रीय पंजिका" तथा अन्य सूत्रों से करेंगे। (ग्रामीण क्षेत्रों में तहसीलदार प्रार्थना-पत्र के विवरण की जांच जिसे वे आवश्यक समझें के लिये लेखपालों से सहायता ले सकते हैं। नगरीय क्षेत्रों में सम्बन्धित नगरपालिका के स्वास्थ्य अधिकारी या जहां ऐसे कोई अधिकारी न हों तो जिला स्वास्थ्य अधिकारी से तहसीलदार इस जांच में सहायता प्राप्त कर सकते हैं)।

7—(i) यदि सम्बन्धित क्षेत्र के "नागरिक राष्ट्रीय पंजिका" में प्रार्थी का नाम सम्मिलित न हो या उसमें उल्लिखित आयु प्रार्थना-पत्र में लिखी आयु से मेल न खाती हो तो तहसीलदार उसकी जांच मतदाता सूची, ग्राम पंचायत रजिस्टर तथा कुटुम्ब रजिस्टर से करेंगे। यदि उपर्युक्त स्रोतों में से किसी से प्रार्थी की आयु की जांच सम्भव न हो सके तो नगरीय क्षेत्रों के लिये सिविल सर्जन, नगरपालिका स्वास्थ्य अधिकारी और ग्रामीण क्षेत्रों के लिये राजकीय एलोपैथिक, आयुर्वेदिक तथा यूनानी चिकित्सालयों के प्रभारी चिकित्सा अधिकारी अथवा जिला परिषद या आन्तरिक जिला परिषद् द्वारा संचालित चिकित्सालयों अथवा राजकीय श्रम हितकारी केन्द्रों के एलोपैथिक चिकित्सालय के चिकित्सा अधिकारियों से सहायता ली जा सकती है। आयु की जांच उस विद्यालय के प्रमाण-पत्र जिसमें प्रार्थी अन्त में पढ़ा हो, वर्नाकुलर फाइनल परीक्षा प्रमाण-पत्र या हाई-स्कूल परीक्षा प्रमाण-पत्र से भी की जा सकती है।

(ii) चिकित्सा अधिकारियों द्वारा दिये गये आयु के प्रमाण-पत्र जिलाधिकारी जो आयु के सत्यापन के लिये सक्षम प्राधिकारी हैं की सहायता पात्र है और उपयुक्त कारण होने पर आयु के मामलों में जिलाधिकारी स्वयं निर्णय ले सकेंगे और उनका निर्णय अन्तिम होगा।

8—तहसीलदार से प्राप्त प्रार्थना-पत्रों की जिलाधिकारी प्रपत्र संख्या [ओ0ए0पी0 (3)] में तहसीलवार प्रविष्टि करेंगे।

9—तहसीलदारों से प्राप्त प्रार्थना-पत्रों की जांच जिलाधिकारी करेंगे। तहसीलदार से प्राप्त किसी प्रार्थना-पत्र को यदि जिलाधिकारी अस्वीकृत करते हैं तो उसकी सूचना वे [ओ0ए0पी0 (4)] के प्रपत्र में प्रार्थी तथा सम्बन्धित तहसीलदार को प्रार्थना-पत्र की प्राप्ति के दिन से 15 दिनों के भीतर देंगे।

10—यदि जांच के बाद जिलाधिकारी व अतिरिक्त जिलाधिकारी किसी प्रार्थना-पत्र को सही पाते हैं तो उसे स्वीकृत करेंगे और प्रत्येक पेंशन पाने वाले को एक संख्या आवंटित करेंगे। समस्त स्वीकृत प्रार्थना-पत्रों की प्रविष्टि [प्रपत्र ओ0ए0पी0 (5)] की पंजिका में की जायेगी और प्रत्येक प्रविष्टि पर जिलाधिकारी या अतिरिक्त जिलाधिकारी के हस्ताक्षर होंगे। तहसीलदार से प्रार्थना-पत्र प्राप्त होने के तिथि से 15 दिनों के भीतर जिलाधीश [प्रपत्र ओ0ए0पी0 (6)] में प्रत्येक पेंशन प्राप्तकर्ता को उसे आवंटित संख्या की सूचना देंगे और [प्रपत्र ओ0ए0पी0 (7)] में सूचना तहसीलदार को देंगे।

प्रत्येक पेंशन प्राप्त कर्ता को पेंशन संख्या का आवंटन

11—(1) दो प्रकार की पेंशन होगी—(क) "आजीवन पेंशन" जो पूरे जीवन काल के लिये स्वीकृत होगी तथा (ख) "सीमित अवधि पेंशन" जो एक निर्धारित अवधि के बाद समाप्त हो जायगी, यानी पेंशन प्राप्तकर्ता के किसी सम्बन्धी की 20 वर्ष का आयु पूरी हो जाने पर।

(2) प्रत्येक पेंशन प्राप्तकर्ता को तहसीलवार, एक लेखा संख्या आवंटित की जायेगी, जो भविष्य के सभी सन्दर्भों में प्रयोग की जायेगी।

12—(1) आवंटित संख्या, जिसके संकेत (कोड) संख्या तहसील निर्देशक-पत्र तथा तहसील की क्रम-संख्या इंगित करेगा।

उदाहरण—उदाहरणार्थ लखनऊ जिले की मलिहाबाद तहसील में रहने वाले एक पेंशन प्राप्तकर्ता का तहसील में क्रमांक 20 है तो उसे आवंटित पेंशन संख्या 40 (ख) 20 होगी।

13—प्रत्येक तहसील के लिये निश्चित निर्देश अपरिवर्तनीय होगा।

14—सीमित अवधि के लिये स्वीकृत पेंशन "सीमित अवधि पेंशन" होगी और शब्द वास्ते बन्धक क्रम-संख्या के बाद जोड़ा जायेगा। इस प्रकार उपर्युक्त मामले में यदि पेंशन एक निश्चित अवधि के लिये स्वीकृत की गई है तो आवंटित संख्या इस प्रकार होगी:

"40 (ख) 20" (ब)

15—समस्त पेंशन व "आजीवन पेंशन" तथा सीमित अवधि पेंशन को पहले "आवंटन एवं भुगतान पंजिका" व प्रपत्र ओ0 ए0पी0 (8) में क्रमानुसार अभिलिखित किया जायेगा तत्पश्चात् सीमित अवधि पेंशन को प्रपत्र ओ0ए0सी0 (8) में इसी उद्देश्य से बनाये गये सीमित अवधि पेंशन पंजिका में स्थानान्तरित किया जावेगा और पेंशन की सीमित अवधि को देखते हुए भुगतानों पर निगरानी रखी जायेगी।

पेंशन प्रारम्भ को तिथि—पेंशन को धनराशि

16—(i) तहसील में प्रार्थना-पत्र प्राप्त होने के अगले दो महीनों के बाद के माह को पहली तारीख से पेंशन का भुगतान देय होगा।

उदाहरण:—यदि कोई प्रार्थना-पत्र मार्च में प्राप्त होता है तो पेंशन पहली जून से देय होगी।

(ii) पेंशन की रकम शासन द्वारा समय-समय पर निर्धारित धनराशि होगी।

17—(i) वृद्धावस्था पेंशन का भुगतान जिलाधिकारी द्वारा प्रत्येक तिमाही बिना धनादेश शुल्क काटे पेंशनरों को धनादेश द्वारा किया जावेगा।

(i) शासन ऐसी कम अवधि के लिये भी जिसे वह आवश्यक समझे पेंशन के भुगतान का आदेश दे सकता है।

(iii) प्रत्येक भुगतान की प्रविष्टि "आवंटन एवं भुगतान पंजिका" [प्रपत्र ओ0 ए0 पी0 (8)] के उपर्युक्त स्तम्भ में की जायगा और प्रत्येक प्रविष्टि का सत्यापन जिलाधिकारी द्वारा इस कार्य के लिये नियुक्त राजपत्रित अधिकारी द्वारा किया जायगा।

भुगतान की प्रक्रिया

18—प्रत्येक धनादेय फार्म पर प्रमुखता से लाल रबड़ की स्याही द्वारा "उत्तर प्रदेश वृद्धावस्था पेंशन" शब्द अंकित किये जावेंगे। उसी आधार धनादेश के पावती अंश पर "तिमाही उत्तर प्रदेश वृद्धावस्था पेंशन" शब्द का उल्लेख धनादेश भरते समय किया जावेगा। धनादेश निर्गत करने के पूर्व इसका विशेष रूप से ध्यान रखना चाहिये कि उसमें प्राप्तकर्ता के नाम एवं पता से सम्बन्धित पूर्ण सूचनायें भी भर जाता है। जिलाधीश द्वारा अधिकृत उत्तरदायी राजपत्रित अधिकारी धनादेश पर हस्ताक्षर करेंगे और (प्रपत्र ओ0 ए0 पी0—8) की पंजिका में प्रविष्टि पर भी हस्ताक्षर करेंगे। "उत्तर प्रदेश वृद्धावस्था पेंशन" सम्बन्धित धनादेश राशि का भुगतान प्राप्तकर्ता के अलावा किसी अन्य को नहीं किया जावेगा। यह भुगतान उसे शिक्षित गवाह (लेखपाल, मंत्री ग्राम पंचायत या अन्य उत्तरदायी व्यक्ति) की उपस्थिति में होगा जो भुगतान प्राप्त कर्ता को पहचान करेंगे और भुगतान का प्रमाण-पत्र भी अभिलिखित करेगा। सम्भव है कि अधिकांश प्राप्तकर्ता अशिक्षित होंगे इसलिये शिक्षित गवाह की उपस्थिति में प्राप्तकर्ता का धनादेश रसीद पर अंगूठा निशान लगवा लिया जावेगा जिस पर साक्षी के हस्ताक्षर होंगे।

टिप्पणी:—उस स्थिति में जब कि पेंशन प्राप्तकर्ता धनादेश पावती पर उंगली के अभाव में हस्ताक्षर करने या अंगूठा निशान लगाने में असमर्थ हैं, के भुगतान डाक विभाग के नियमों के अनुसार डाकघर द्वारा किया जायेगा।

19—आगामी तिमाह का भुगतान तब तक नहीं किया जायेगा जब तक कि पूववर्ती तिमाही का धनादेश पावती प्राप्त न हो जाय और आवंटन एवं भुगतान पंजिका में इस आशय की प्रविष्टि न कर दी जाय या जब तक कि संतोषप्रद प्रमाण न प्राप्त हो जाय कि पेंशन प्राप्तकर्ता की पूर्ववर्ती तिमाही की धनराशि का सही भुगतान कर दिया गया है। इस कार्य के लिये धनादेश पावतियां की प्रविष्टि (प्रपत्र ओ0 ए0 पी0—8) में प्रत्येक जिले के लिये पृथक-पृथक की जायेगी। यदि जिलाधिकारी इस बात से संतुष्ट है कि पूर्ववर्ती पेंशन का भुगतान पेंशन प्राप्तकर्ता के बिना किसी दोष के रुका है तो वह आगामी तिमाही का भुगतान कर सकते हैं। यदि लगातार दो तिमाही को धनादेश पावती प्राप्त नहीं हो जाता है तो अगला भुगतान बिना आगे जांच किये नहीं किया जायगा।

20—"आवंटन एवं भुगतान पंजिका" प्रपत्र ओ0 ए0 पी0 (8) की जांच प्रत्येक तिमाही की जानी चाहिये और जिन पेंशनरों का भुगतान एक तिमाही से अधिक समय से नहीं हुआ है उनकी बाबत जानकारी की जानी चाहिये तथा उनके सन्दर्भ की प्रविष्टि पंजिका के सम्बन्धित स्तम्भ में दी जानी चाहिये।

21—जिलाधिकारी के कार्यालय में समस्त भुगतान की पावतियों पर निगरानी रखी जायेगी और पावतियों की प्राप्ति पर उन्हें तहसीलदार नाम से व्यवस्थित कर सम्बन्धित जिला पंजिका प्रपत्र ओ0 ए0 पी0 (8) में उसकी प्रविष्टि की जायगी और उसके द्वारा ऊपर निरस्त की मोहर लगाई जायेगी। यदि भुगतान प्राप्तकर्ता की पावती धनादेश निर्गत करने की तिथि से 30 दिन से अधिक अवधि तक निलम्बित होती है या यदि भुगतान न होने की शिकायत प्राप्त होती है तो डाक विभाग अधिकारियों से जिलाधिकारी तुरन्त आवश्यक जांच पड़ताल करेंगे।

पेंशन प्राप्तकर्ता की मृत्यु

22—यदि पेंशन प्राप्तकर्ता की मृत्यु हो जाती है और पेंशन का भुगतान उसको नहीं किया गया है तो भुगतान न की गई पेंशन की धनराशि समाप्त हो जायगी परन्तु शासन विशेष परिस्थितियों में दावेदार को भुगतान की गई धनराशि के भुगतान पर विचार कर सकती है।

डाक विभाग को भुगतान

23—जिले के जिला अधिकारी को महालेखाकार द्वारा सम्बन्धित जिले के कोषागार के साथ लेखा रखने के लिये अधिकृत किया जायगा। वह धनादेश तथा धनादेश की पूर्ण धनराशि कमीशन के बराबर समय-समय पर अपने जिले के कोषागार कार्यालय से चेक काटेंगे। प्रत्येक जिले के प्रत्येक पेंशन को किये गये वितरण के विवरण को दिखाने के लिये एतदर्थ वृद्धावस्था फार्म (9) में एक अनुसूची तीन प्रतियों में तैयार की जायगी, और उसे धनादेश फार्म के साथ डाकपाल को भेज दिया जायगा। अनुसूचियों की प्रतियां मासिक लेखा के साथ महालेखाकार को भेजी जायगी, जो वाउचरों (व्यय-पत्रों) का प्रयोजन सिद्ध करेंगी। जिला अधिकारी कार्यालय तथा पेंशन प्राप्तकर्ताओं की भी सुविधा के लिये पेंशन के वितरण की इसप्रकार व्यवस्था की जायगी कि जिससे पेंशन प्राप्तकर्ता अपनी त्रैमासिक पेंशन की धनराशि एक निश्चित अवधि में प्राप्त कर लें। इस उद्देश्य के लिये धनादेश कुछ समूहों में भेजे जाने चाहिये और ऐसी अवधियों का निर्धारण तथा आवंटन कर दिया जाना चाहिये जो कि व्यवहारिक समझी जायें।

धनादेश की वापसी

24—(i) अवितरित लौटे हुए धनादेशों की देख-रेख तथा उनका लेखा-जोखा जिलाधिकारी रखेंगे। सभी लौटे हुए धनादेश जिलाधिकारी द्वारा अधिकृत राजपत्रित अधिकारी प्राप्त करेंगे। लौटे हुए धनादेशों का अभिलेख निम्न प्रकार की

एक पंजिका में रखा जायगा:—

क्रम-संख्या	पेंशन प्राप्त कर्ता का नाम एवं पूर्ण पता	पेंशन आवंटित संख्या	भुगतान की अवधि से तक
1	2	3	4

धनादेश का धन	धनादेश संख्या तथा दिनांक	भुगतान न होने का कारण	राजपत्रित अधिकारी के हस्ताक्षर
5	6	7	8

भुगतान न होने वाले धनादेशों की धनराशि जो डाक अधिकारियों से वापस प्राप्त किये गये हों उनकी प्रविष्टि रोकड़ बही में की जानी चाहिये और उसे तुरन्त खजाने में जमा किया जाना चाहिये।

(ii) भुगतान न किये गये धनादेशों की धनराशि को ट्रेजरी चालान द्वारा प्राप्त की मद में लेखा शीर्षक "088 सामाजिक सुरक्षा एवं कल्याण की प्राप्तियां—4 अन्य प्राप्तियां (1) समाज कल्याण विभाग की प्रकीर्ण प्राप्तियां" के अन्तर्गत जमा किया जायगा। इस प्रकार के भुगतान न किये गये पेंशनों का मासिक विस्तृत विवरण महालेखाकार तथा श्रमायुक्त, उत्तर प्रदेश, कानपुर को भेजा जायगा।

पेंशन प्राप्तकर्ता के पते में परिवर्तन

25—किसी पेंशन प्राप्तकर्ता को जो 6 माह से अधिक अवधि तक प्रदेश के बाहर रहे उसे पेंशन का भुगतान नहीं किया जाना चाहिये। कुछ ऐसे मामले हो सकते हैं जहां विषम परिस्थिति में निराश्रित व्यक्ति को बीमारी आदि के कारण प्रदेश के बाहर रहने के लिये विवश होना पड़े परन्तु ऐसे मामलों में पेंशन भुगतान हेतु शासन की स्वीकृति प्राप्त करना आवश्यक है।

26—यदि पेंशन प्राप्तकर्ता प्रदेश में ही अपना पता परिवर्तन करता है तो उस जिले के जिलाधिकारी जहां पेंशन प्राप्त जाता है पेंशन के भुगतान के पूर्व इसका सत्यापन करेगा कि पेंशनर नवीन पते पर भी निराश्रित है। जिले में ही पते का परिवर्तन होने की दशा में नवीन पते पर पेंशन प्राप्त होती रहेगी।

प्रशासन

27—(i) श्रमायुक्त, उत्तर प्रदेश इस योजना के पूर्ण रूप से प्रभारी होंगे। यह वृद्धावस्था पेंशन योजना के बजट के नियंत्रक अधिकारी होंगे तथा जिला अधिकारियों को धन का आवंटन करेंगे।

(ii) यह वृद्धावस्था पेंशन नियमों के उपयुक्त कार्यान्वयन तथा लेखा कार्य-विधि सम्बन्धी आवश्यक निर्देश जिलाधिकारियों को जारी करेंगे। ज्येष्ठ लेखा अधिकारी उनकी सहायता करेंगे और लेखों सम्बन्धी सभी मामलों में सलाह देंगे।

28—समय-समय पर शासन द्वारा स्वीकृत कर्मचारियों की सहायता से ज्येष्ठ लेखा अधिकारी कार्य करेंगे। ज्येष्ठ लेखा अधिकारी, सहायक लेखा अधिकारी तथा अन्य पर्यवेक्षक वर्ग के कर्मचारी जिलों में इस योजना के कार्यों का नियमित रूप से निरीक्षण करेंगे तथा निरीक्षण की रिपोर्ट श्रमायुक्त को प्रस्तुत करेंगे।

28—(ii) जिलाधिकारी इस योजना के आहरण एवं वितरण अधिकारी होंगे, जो अपने अधिकार को आवश्यकतानुसार किसी राजपत्रित अधिकारी को सौंप सकते हैं।

मासिक वितरण तथा तालिकाओं का प्रस्तुतीकरण

29—(i) जिलाधिकारी प्रत्येक माह निम्नलिखित सम्बन्धित वितरण आगामी मास की पांचवीं तारीख तक श्रमायुक्त, उत्तर प्रदेश को भेजेंगे:—

(1) प्राप्त प्रार्थना-पत्र, स्वीकृत तथा अस्वीकृत प्रार्थना-पत्रों का विवरण प्रपत्र संख्या ओ० ए० पी० (10) में।

(2) जीवित पेंशनरों का विवरण-प्रपत्र सं० ओ० ए० पी० (11) में।

(3) मासिक व्यय का विवरण-प्रपत्र सं० ओ० ए० पी० (12) में।

(4) पेंशन के भुगतान तथा धनादेश शुल्क का विवरण-प्रपत्र सं० ओ० ए० पी० (13) में।

(ii) वृद्धावस्था पेंशन की स्वीकृति की प्रगति तथा जीवित पेंशन-प्राप्तकर्ताओं की संख्या का विवरण श्रमायुक्त, उत्तर प्रदेश प्रत्येक माह की बीसवीं तारीख तक शासन को भेजेंगे।

जीवित पेंशन प्राप्तकर्ताओं का सामयिक प्रमाणीकरण

30—(i) जिलाधिकारी द्वारा छपे पोस्ट-कार्ड प्रपत्र सं० ओ० ए० पी० (14) में लेखपालों को (ग्रामों के लिये) तथा नगरपालिका स्वास्थ्य एवं चिकित्सा अधिकारी को (नगरों के लिये) जहां पर वे हों भेजे जायेंगे। यह प्रत्येक पेंशन प्राप्तकर्ता की मृत्यु की रिपोर्ट घटित होने के तुरन्त पश्चात् जिलाधीश, सम्बन्धित तहसीलदार को सूचित करते हुए, भेजेंगे।

(ii) तहसीलदार अपने क्षेत्र के समस्त पेंशनरों की छमाही जांच, कि पेंशन जीवित है और अनुच्छेद दो में दी गयी परिभाषा के अनुसार अब भी "निराश्रित" है करेगा। यह सत्यापन तहसीलदार द्वारा वित्तीय वर्ष के तुरन्त पश्चात् मास अप्रैल और पुनः मास अक्तूबर में किया जायगा इसकी रिपोर्ट जिलाधिकारी को प्रत्येक वर्ष मई तथा नवम्बर की 15वीं तारीख तक भेजी जायेगी। इस रिपोर्ट में उन पेंशनरों का नाम तथा पेंशन संख्या निहित होगा जो जीवित नहीं है या उनकी "निराश्रिता" समाप्त हो गई है।

31—पेंशन का भुगतान उस तिथि के बाद की तिथि से जब से पेंशनर की मृत्यु हो गयी या जिस दिनांक से उसकी निराश्रिता समाप्त हो गयी हो बन्द कर दिया जायेगा।